



# मोरल क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड

रजि० कार्यालय: रॉयल आर्कड, 565 का-94/2 स्नेह नगर, आलमबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश  
सहकारिता विभाग (कृषि मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा पंजीकृत  
पंजीकरण संख्या - MSCS/CR/617/2012

SR NO.



## सदस्यता पंजीकरण आवेदन पत्र

सेवा केन्द्र का नाम	सेवा केन्द्र का कोड
---------------------	---------------------

श्री / श्रीमती / कुमारी
पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री

मोरल क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की सदस्य बनने हेतु 10/- रुपये सदस्यता शुल्क के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत करता/करती हूँ। मेरी सदस्यता स्वीकृत होने पर मुझे सोसाइटी के वर्तमान सहकारी नियम, अधिनियम, उपनियम एवं समय समय पर किये गये परिवर्तन, परिवर्धन तथा संशोधन मान्य होंगे। मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं मोरल क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जैसी किसी अन्य संस्था का/की सदस्य नहीं हूँ मैं एतद्वारा यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में उल्लेखित सूचना मेरे विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवम् सही है।

आवेदक स्वयं प्रमाणित फोटो

आवेदक का हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान

### मेरा विवरण निम्नानुसार है:

जन्म तिथि	लिंग	विवाहित स्थिति	शैक्षिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न करें)		धर्म			वर्ग	
D D M M Y Y Y Y	महिला	विवाहित	हाईस्कूल से कम	स्नातक/पी० जी०	हिन्दू	सिख	जैन	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
आयु (जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करें)	पुरुष	अविवाहित	हाईस्कूल/इंटर	व्यवसायिक शिक्षा	मुस्लिम	ईसाई	अन्य	अनु.जा./ज.जा.	

जन्म तिथि (कृपया उपयुक्त खानें ✓ लगाएँ)

व्यवसाय	सेवारत	व्यापार	कृषि	पेशेवर	ग्रहणी	विद्यार्थी	अन्य
निवास प्रमाण पत्र (छाया प्रति संलग्न करें)	पहचान पत्र	वोटर आई. डी.	बिजली बिल	टेलिफोन बिल	ड्राइविंग लाईसेंस	राशन कार्ड	अन्य
पहचान प्रमाण पत्र (छाया प्रति संलग्न करें)	पहचान प्रमाण	वोटर आई. डी.	पैन कार्ड	पासपोर्ट	ड्राइविंग लाईसेंस	अन्य	

वर्तमान पता

राज्य	पिनकोड	जिला	मोबाईल न०
-------	--------	------	-----------

स्थायी पता (यदि उपरोक्त पते से भिन्न है)

राज्य	पिनकोड	जिला	मोबाईल न०
-------	--------	------	-----------

गवाह/साक्ष्य की जानकारी:

गवाह/साक्षी मोरल क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का सदस्य है तो सदस्यता संख्या अंकित करे

श्री / श्रीमती / कुमारी

पत्राचार हेतु पता

पिनकोड	मोबाईल न०	जिला	राज्य	गवाह के हस्ताक्षर
--------	-----------	------	-------	-------------------

### केवल कार्यालय उपयोग हेतु

मोरल क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ के संचालक मण्डल/सदस्यता समिति/अधिकृत अधिकारी द्वारा विचार करने के उपरान्त उपरोक्त आवेदन को स्वीकृत / अस्वीकृत किया जाता है।

संलग्नक

- तीन नवीनतम रंगीन फोटो
- स्थायी पता प्रमाण पत्र
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
- आयु/जन्म प्रमाण पत्र
- पैनकार्ड की स्वयं सत्यापित छाया प्रति

दिनांक

सदस्यता शुल्क रसीद संख्या

आवृत्त सदस्यता संख्या

कार्यालय मोहर एवम् अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

ई० कोड



## मोरल क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड

### सदस्यता हेतु सामान्य नियम एवं शर्तें

1. आवेदक द्वारा सदस्यता हेतु आवेदन लिखित रूप में निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से किया गया हो।
2. आवेदक द्वारा लिखित रूप में निर्धारित सदस्यता शुल्क (अप्रतिदेय) भुगतान करने हेतु सहमति दी गयी हो।
3. आवेदक द्वारा लिखित घोषणा की गयी हो कि वह मोरल क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी जैसी किसी अन्य सोसाइटी का सदस्य नहीं है।
4. आवेदक मोरल क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी के सभी नियम, उपनियम की निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो।
5. आवेदक मोरल क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में निवास करता हो या कार्यरत हो।
6. आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिये।
7. आवेदक द्वारा सोसाइटी का कम से कम एक शेयर लेना अनिवार्य है।
8. आवेदक को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया या अनु-उन्मुक्त दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो।
9. आवेदक का पिछले 5 वर्षों में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी भी ऐसे अपराध के लिये सजा न सुनाई गयी हो जो राजनैतिक कारणों से न हो अथवा नैतिक अधमता या बेईमानी के कारण न हो एवम् सजा की अवधि समाप्त होने के उपरान्त 5 वर्ष बीत गये हों।
10. आवेदन को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मोरल क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के संचालक मण्डल/सदस्यता कमेटी/अधिकृत अधिकारी के पास सदैव सुरक्षित है।
11. आवेदक को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया या अनु-उन्मुक्त दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो।
12. टी0 डी0 एस0 एवं अन्य सभी कर भारत सरकार के नियमानुसार लागू होंगे।

### सदस्यता निरस्तीकरण हेतु नियम व शर्तें

किसी भी सदस्य की सदस्यता निम्नांकित तथ्यों के आधार पर निरस्त की जा सकती है:-

1. यदि सदस्य का वर्तमान व्यवसाय सोसाइटी के व्यवसाय से समान हो या सोसाइटी के व्यवसाय को प्रभावित करता हो।
  2. यदि सदस्य ने सोसाइटी से नोटिस प्राप्त करने की तिथि के 30 दिन के भीतर
  3. यदि सदस्य ने सोसाइटी में लगातार पिछले 2 वर्षों से न्यूनतम 200/- रूपये का कोई लेन देन न किया हो।
  4. यदि सदस्य किसी नैतिक अधमता या बेईमानी या वित्तीय अनियमितता में संलिप्त पाया जाता है।
  5. यदि सदस्य को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी भी ऐसे अपराध के लिये सजा सुनाई गयी हो तो राजनैतिक कारणों से न हो।
- में उपरोक्त नियम एवम् शर्तों से सहमत हूँ एवम् सोसाइटी द्वारा समय समय पर जारी या जारी होने वाले प्रशासनिक निर्देश एवम् प्रपत्र मुझे मान्य होंगे।

दिनांक: ...../...../.....

**धनिक लाल शर्मा**  
आवेदक के हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

### आवेदक के निरक्षर होने की स्थिति में अधिकृत अधिकारी द्वारा घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक को सोसाइटी की सदस्यता सम्बन्धी समस्त नियम एवम् शर्तों को उसकी स्थानीय भाषा में स्पष्ट कर दिया गया है।

कार्यालय मोहर एवम् अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर  
नाम  
इ0 कोड